न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

प्र0सं0273/2012 पीठासीन अधिकारी—श्री कैलाशचन्द्र शर्मा आर ए एस

अनवान गुरप्रीतसिंह कुदरती पिता गुरबक्शसिंह दत्तक पिता महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी केलिफोर्निया अमेरीका बजरिए मुख्तयारे आम मनप्रीतकौर पत्नि श्री दिलावरसिंह जाति जटसिख निवासी बगडीया तहसील मलेरकोटला जिला संगरूर पंजाब

.....प्रार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्रजीतकौर धर्मपत्नि श्री सर्वजीतसिंह पुत्री हरगोपालसिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं0 22 सैक्टर 22 चण्डीगढ कोठी नं0 1257 सैक्टर नं0 44 चण्डीगढ

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0/155

आदेश

दिनांकः—08/8/16

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की ओर एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा व भूमि में वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं कब्जा प्राप्ति इन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया कि चक 13 जैड के मु0नं0 61 की 6.325 है0 भूमि आवेदक के पिता महेन्द्र सिंह पुत्र हरी सिंह उर्फ भगवंत सिंह की खातेदारी थी। आवेदक के कुदरती पिता गुरबक्श सिंह थे। आवेदक के दत्तक पिता महेन्द्र सिंह के शादीशुदा न होने से व उनके कोई संतान न होने से महेन्द्र सिंह ने आवेदक को गोद ले लिया था और आवेदक के महेन्द्र सिंह के गोद जाने से आवेदक महेन्द्र सिंह का दत्तक पुत्र है। आवेदक के दत्तक पिता महेन्द्र सिंह ने उक्त आराजी आवेदक को बजरिये बैयनामा हस्तांतरित कर दी थी एवं इस बैयनामा के आधार पर आवेदक के नाम उक्त भूमि जमाबंदी सम्वत् 2059—2062 के खाता संख्या 15/15 के मु0नं0 61 के कि0नं0 1 ता 25 की कुल 6.325 है0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और आवेदक इस भूमि का खातेदार कृषक है। उक्त कृषि भूमि अनावेदक के कब्जे में है और वह इसे खुर्द बुर्द करने अथवा अन्यत्र रहन बैय या दीगर तरीके से मुन्तकिल करने की फिराक में है। अगर दौराने दावा अनावेदक अपने मकसद में सफल हो गया तो इससे आवेदक को अपूणीर्य क्षति होगी। इसलिए अनावेदक के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि वह किसी अन्य व्यक्ति को उक्त रकबा रहन बैय या दीगर तरीके से मुन्तकिल करने या इसे खुर्द बुर्द करने से बाज व ममनू रहे। प्रार्थना पत्र दर्ज कर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनने के एश्चात्

— Cont. (2)

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

चक 13 जैड के मु0नं0 61 के कि0नं0 1 ता 25 की 6.325 है0 भूमि को अप्रार्थी रहन बैय नहीं करने तथा आगामी पेशी तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अप्रार्थीया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अपनी वल्दियत गलत अंकित की है। प्रार्थी गुरप्रीत सिंह गुरबक्श सिंह का पुत्र है न कि प्रार्थी के दत्तक पिता महेन्द्र सिंह हैं। प्रार्थी द्वारा मिलते जुलते नाम का अनुचित लाभ उठाये जाने के प्रयास से बिना किसी दस्तावेज गोदनामा को प्रस्तुत किये अपने आप को महेन्द्र सिंह का दत्तक पुत्र होना कथन किया है जबकि गुरबक्श सिंह के पुत्र प्रार्थी गुरप्रीत सिंह को महेन्द्र सिंह द्वारा गोद नहीं लिया गया। प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया कि महेन्द्र सिंह पुत्र हरी सिंह प्रार्थी के पिता नहीं थे एवं न ही महेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थी को गोद लिया गया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें दत्तक पिता महेन्द्र सिंह का नाम अंकित हो। प्रार्थी द्वारा जो मुख्तयारनामा मनप्रीत कौर को दिया गया है उसमें भी गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह अंकित है जबकि गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरबक्श के नाम से न तो कोई भूमि है न ही पूर्व में थी। अप्रार्थीया द्वारा अपने जवाब में अंकन किया है कि गुरप्रीत सिंह दत्तक पुत्र महेन्द्र सिंह द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 16.04.2003 को स्वस्थ चित एवं बिना किसी दबाव के अप्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित की थी और उक्त वसीयत के आधार पर गुरप्रीत सिंह दत्तक पुत्र महेन्द्र सिंह के देहांत उपरांत उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज अप्रार्थीया के नाम से दर्ज हो चुका है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को सन 2005 से है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड इन्तकाल आदि की जानकारी होने के बावजूद चुनौती न देने के कारण वस्तुस्थिति स्पष्ट है कि गुरप्रीत सिंह नाम का अनुचित लाभ उठाकर मौजूदा वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीया द्वारा निवेदन किया है कि गुरप्रीत सिंह दत्तक पुत्र महेन्द्र सिंह का देहान्त 18.09.2003 को हुआ, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया गया जबकि प्रार्थी गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह है जिसका गुरप्रीत सिंह दत्तक पुत्र महेन्द्र सिंह से कोई लेना देना नहीं है दोनों अलग अलग शख्सियत है। महज नाम समान होने का अनुचित लाभ उठाकर मौजूदा वाद एवं प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा वसीयत इन्तकाल के विरूद्ध एक अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर के न्यायालय में कर रखी है और उक्त अपील निगरानी के अधीन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। अप्रार्थीया द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि आवेदक का वादाधीन कृषि भूमि से प्रथम दृष्टया कोई सरोकार नहीं है। द्वितीय अप्रार्थीया के स्वामित्व एवं कब्जाकाश्त को प्रार्थी चुनौती देने का कतई अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीया मुजीब वादाधीन कृषि भूमि की खातेदारा है एवं प्रतिवादी संख्या 2 अप्रार्थीया मुजीब के स्वामित्व एवं अधिकार के अधीन वादाधीन कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। इसलिए प्रार्थी बेदखली का वाद प्रस्तुत करने अथवा आदेश प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम महेन्द्र सिंह अंकित हो। अप्रार्थीया अपनी खातेदारी कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिए संवैधानिक रूप से स्वतंत्र एवं सक्षम है। प्रार्थी वास्तविक

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

—cont (3)

(3)

स्वामी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि इससे मुकदमेबाजी बढेगी और वाद का मकसद समाप्त हो जायेगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र वादी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निरस्त करने के आदेश दिये जावें। वकील प्रार्थी द्वारा जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि "सही तथ्य यह है कि गुरप्रीत सिंह दत्तक पुत्र महेन्द्र सिंह द्वारा अपनी खातेदारी विवादग्रस्त भूमि की वसीयत 16.04.2003 को स्वस्थ चित से एवं बिना किसी जबर दवाब के रोबरू गवाहान निष्पादित की थी व आदि आदि" कथन किये हैं। किन्तु उक्त वसीयत तथाकथित कपट पर आधारित है और वादी को मृतक दिखाकर, जो आज भी जीवित है, की फर्जी वसीयत गवाहान से मिलकर बनाई गई है और अमरप्रीत सिंह से मिलकर साजिशाना वादी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। इस अमर में पुलिस थाना में भी रिपोर्ट करवायी गई, लेकिन पुलिस थाना की तफ्तीश के अनुसार भी कोई वसीयत तहसील में इस वक्त नहीं पाई गई और न ही प्रतिवादीया की तरफ से अदालत हाजा में आज तक पेश की गई है, जो वसीयत की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह है। और हर प्रकार से पुलिस द्वारा फर्जीकृत मानकर अदालत में सुरेन्द्रजीत कौर व अमरप्रीत सिंह व अन्य का चालान पेश किया गया है। चालान की प्रमाणित प्रति भी सलंग्न प्रस्तुत की है। इस प्रकार उक्त तमाम तथाकथित वसीयत कपट पर आधारित होने की वजह से उसके बिनाये पर कागजात राज में इंतकाल होना अपने आप में शुन्य है। अप्रार्थीया का इस भूमि पर कोई टाईटल नहीं बनता है। और अप्रार्थीया का कब्जा बिना अधिकार बतौर अत्याचारी के है।

सुयोग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीया द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को ही दोहराया है। वकील अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतू अहम 3 बिन्दुओं पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से हैः–

1. <u>प्रथम दृष्टया केसः</u>– इस बिन्दु को साबित करने के लिए प्रार्थी को यह प्रथम दृष्टया साबित करना था कि जिस भूमि को लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर निषेधाज्ञा की मांग की गयी है उसमें प्रार्थी का प्रथम दृष्टया विधिक हक निहित होना प्रतीत हो, इस संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जवाबुल जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का यह कथन कि जिस वसीयत के आधार पर विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीया अपना हक बता रही है, उसके सम्बन्ध में एफआईआर दर्ज होकर सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। जिसका अभी निर्णय नहीं हुआ है। अप्रार्थीया द्वारा अपने जवाब में गुरप्रीत सिंह गुरबक्श सिंह का पुत्र होना बताया है और प्रार्थी द्वारा जिस गोदनामा के आधार पर अपने को महेन्द्र सिंह का दत्तक पुत्र बता रहा है, वह गोदनामा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी के पिता

— Cont (4)

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

(4)

का नाम गुरप्रीत सिंह दत्तक पुत्र महेन्द्र सिंह अंकित हो। चूंकि जिस वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीया के नाम दर्ज हुई है, के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा सिविल न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरूद्ध चालान पेश किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी इस हद तक प्रथम दष्टया प्रकरण साबित कर सका हैकि प्रकरण विवादित है और साक्ष्यों के आधार पर तय होना है तब तक यदि भूमि विक्रय हो जाती है तो प्रार्थी का दावा सारहीन हो जावेगा इसलिए प्रथम दृष्टया भूमि के विक्रय हस्तान्तरण पर रोक लगाने तक प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में है उपरोक्त आधार पर सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति उपरोक्त बिन्दू तक प्रार्थी के हक में पाये जाते है।

अतः उक्त तीनों बिन्दू किसी के हक में पूर्ण रूप से नहीं जाते हैं इसलिए न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एवं विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आईंदा मुकदमेबाजी को निषिद्ध करने के उद्देश्य से उक्त चक 13 जैड के मु0 नं0 61 की 6.325 है0 भूमि को वाद के निर्णय तक बैय हस्तान्तरण करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर